कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone @ Fax No&01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः— 5637 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 10/05/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, थराली।

विषयः— माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाईनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बांध निर्माण कार्य हेतु 4.95 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन।(**Online proposal no. FP/UK/WATER/144831/2021)**

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./09/44/2023/एफ.सी./98, दिनांक 28—04—2023।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन जलवायु मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कई आपत्तियां आनलाईन प्राप्त हुई है, संदर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5,6 एवं 8 में उल्लिखित आपत्तियों का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यमों से प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

अग्रेषित
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून -248001
दूरभाष:0135-2650809
फैक्स.0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./09/44/2023/एफ.सी. / 98 **दिनांक: 28/04/2023**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- जनपद-चमोली में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषण संख्या-281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य हेतु 4.95 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. **FP/UK/WATER/144831/2021**)

सन्दर्भः- **कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1296/FP/UK/WATER/144831/2021 दिनांक 26.12.2021** (received online on 20.04.2023).

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विषयांकित प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी है ।। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेः-

1) The justification provided to locate the project in forest area is vague and does not elucidate on the technical reasons for locating the project in the forest area. Further, no alternatives have been explored for the project. The State Government is requested to provide detailed justification based on technical parameters and establish the inescapability of locating the project on the proposed site.
2) State Govt. is requested to submit necessary comments as per Ministry's guidelines dated 24.01.2022 regarding non-site-specific activity.
3) It is observed from the DSS analysis of the area proposed for diversion that KML file of 3.97 ha is uploaded instead of 4.95 ha. The State Govt is requested to upload the correct KML file.
4) Area proposed for muck dumping is mentioned as 0.22 ha in the component wise breakup at para b 2.4 in part I. However, in the muck disposal plan are is mentioned to be 0.15 ha. The State Govt is requested to comment on this discrepancy and make necessary corrections.
5) In the component wise break-up 0.03 ha area is mentioned against the component named "others". It is requested to submit the clear details in this regard.

Scanned with CamScanner

6) In the component wise break-up details of how the water stored or impounded shall be carried to the beneficiaries is not mentioned. The State Government is requested to provide information in this regard.
7) NPV is found calculated as per old rates in NPV sheet. State Govt is requested to provide/ upload the NPV calculation sheet as per the new rates.
8) It is seen that 955 trees are affected by the proposal. The State Government is requested to provide details of the trees falling in the permeant submergence zone and those falling in the temporary submergence zone. The Forest Department may also work out the number of trees which could be saved in the temporary submergence zone. Also, the trees which are required for wildlife purposes viz, snags could also be listed by the forest department.
9) The details provided in the part II of the proposal indicate the presence of wildlife in and around the proposed area. Hence, details of the impact of the project on the wildlife and suggestive mitigative measures is requested to be provided.
10) The proposal affects large number of Oak trees. Hence, the State Government is requested to provide its comment if the CA area is suitable for planting oak plants.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

Gnarwane 28.4.23
(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

Scanned with CamScanner